

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड की ओर से राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४, सर्वसाधारण की सूचनायं नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

पूर्णचन्द्र जैन,
आनंदरी मंत्री,
राजस्थान भूदान प्रभूर्ड ।

राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४

(संख्या १६, सन् १९५४) की धारा ३२ के अन्तर्गत नियम

राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५४ (संख्या १६, सन् १९५४) की धारा ३२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव में लाने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय १—परिभाषा

१. इन नियमों में जब तक विवय या संवर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(१) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान भूदान अधिनियम १९५४ (संख्या १६, सन् १९५४) से है,

(२) समिति से तात्पर्य अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत निम्नित तहसील समिति से है,

(३) संयोजक से तात्पर्य तहसील समिति के संयोजक से है,

(४) प्रपत्र से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न किसी प्रपत्र से है,

(५) पट्टेवार से तात्पर्य भूदान के पट्टेवार से है,

(६) धारा से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

श्वाध्याय २

२. बोर्ड की कार्यवाही की गाली तथा उसका निपटारा :—

- (१) बोर्ड की एक मीटिंग होगी जो यातो साधारण होगी या विशिष्ट होगी ।
- (२) मीटिंग की तारीख, समय तथा स्थान, सभापति, या सभापति से परामर्श करके मंत्री द्वारा निश्चित किया जायगा ।
- (३) बोर्ड की मीटिंग मंत्री द्वारा बुलाई जायगी ।
- (४) प्रत्येक मीटिंग का एक नोटिस जिसमें उसका समय तथा स्थान बताया गया होगा और जिसके साथ उसमें की जाने वाली कार्यवाही की कार्यसूची संलग्न होगी, बोर्ड के प्रते के सदस्य के पास, उसके द्वारा बताए गए तथा एक रजिस्टर में उल्लिखित पते पर जो इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से रखा गया है, कम से कम, साधारण मीटिंग की दशा में ७ दिन से पूर्व तथा विशिष्ट मीटिंग की दशा में ४ दिन पूर्व ऐस्टिंग सर्टफिकेट के अन्तर्गत डाक द्वारा भेजा जायगा ।

३. सभापति की स्वीकृति के बिना, किसी भी मीटिंग में कार्य सूची में उल्लिखित कार्यवाही के अतिरिक्त, कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी ।

४. मीटिंग स्थगित करने की तारीख को, मीटिंग स्थगित करने के नोटिस का, मीटिंग के स्थान पर चर्चां किया जा आगे की मीटिंग के लिये पर्याप्त नोटिस होगा ।

५. सभापति द्वारा अन्यथा निर्देशित किये जाने के अतिरिक्त, प्रत्येक साधारण मीटिंग की कार्यवाही, जहां तक संभव हो सकेगा निम्नलिखित क्रम में की जायगी :—

- (क) पूर्व मीटिंग के संक्षिप्त विवरण की सम्पुष्टि,
- (ख) पूर्व मीटिंग में स्थगित किये गये समस्त विषय, तथा
- (ग) अन्य कार्यवाही ऐसे क्रम में जो सभापति द्वारा निश्चित की जाय ।

६. (१) बोर्ड की मीटिंग के संक्षिप्त विवरण का इसके प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में सचिव द्वारा उल्लेख किया जायगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और आगे आगे वाली मीटिंग में, चाहे वह साधारण हो या विशिष्ट, पुष्टि कर दी जायगी और तब उस पर सभापति द्वारा पुष्टीकरण के संबंध में हस्ताक्षर कर दिये जायें ।

परन्तु शर्त यह है कि संक्षिप्त विवरण पुष्टीहेतु तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी मीटिंग, जिसके बह संबंध में है, हृष्ये सात दिन समाप्त न हो जायें ।

(२) बोर्ड का कोई भी सदस्य संक्षिप्त विवरण की पुष्टि के लिये जाने के पूर्व, शापति उठा सकेगा । ऐसी समस्त आपत्तियों पर सभापति निर्णय करेगा कि और उनमें बोर्ड की सहमति के पश्चात् ऐसी शुद्धियां या परिवर्तन जो भी आवश्यक हों, करेगा ।

७. (१) बोर्डकी शासनिक कार्यवाही में कोई 'कट कालीन स्थिति उपस्थित हो जाने की दशा में, यदि सभापति यह विचार रखता हो कि इस हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाती चाहिये, तो वह एक स्वापना प्रारूप बोर्ड के सदस्यों के पास भेज देगा और यदि प्रस्थापना के भेजे जाने से १५ दिन के भीतर उसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है या प्रस्थापना का अनुमोदन, बोर्ड के सदस्यों की ऐसी संख्या से जो २।३ से कम न हो, हो जाता है तो उस प्रस्थापना पर कार्यवाही इस प्रकार की जायेगी, मानो वह बोर्डकी मीटिंग में स्वीकार किया गया हो ।

(२) उप-नियम (१) के अन्तर्गत अंगीकृत प्रत्येक प्रस्थापन को पुष्टीकरण हेतु बोर्डकी आगामी मीटिंग में रखा जायगा ।

८. नियम ७ द्वारा निर्देशित मामलों के अतिरिक्त समस्त अन्य कार्य जिन पर शीघ्र ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, सभापति या उसके निर्देशन के अधीन मंत्री द्वारा निपटाये जा सकेंगे । इस नियम के अनुसरण में किया गया त्येक कार्य वो ' की आगामी मीटिंग में पुष्टीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायगा ।

९. बोर्ड की मीटिंग में अपेक्षित कोरम उसके सदस्यों की संख्या का १।३ होगा । कोई भी मीटिंग जो कोरम में कमी के कारण स्थगित की गई हो, अपनी कार्यवाही बिना कोरम के भी कर सकती ' तथा इस प्रकार स्थगित की गई मीटिंग दूसरे दिन की जा सकती है ।

अध्याय ३

बोर्ड के सदस्यों, संयोजकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं की सेवा की शर्तें तथा पारिश्रमिक

१०. (१) ' अपनी उचित तथा कुशल कार्यवाही हेतु अंशकालिक या पूर्णकालिक कायकर्ता, जिसमें बोर्ड के सदस्य तथा सं औक भी सम्मिलित हैं, नियुक्त कर सकेगा ।

(२) उप-नियम (१) के अन्तर्गत दिया जाने वाला पारिश्रमिक ३००) ६० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा और न ६०) ६० तिमास से कम होगा ।

(३) यात्रा संबंधी भत्ते तथा अन्य भत्ते, अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें, बोर्ड द्वारा, समय २ पर पुरित स्तरों पर नियमित की जायेंगी ।

११. (१) मंत्री :-

(क) बोर्ड की मीटिंग की कार्यवाही का रेकर्ड रखेगा ।

(ख) बोर्ड की ओर से पत्र व्यवहार करेगा ।

(ग) बोर्ड के लेखे नियमित रूप से रखेगा ।

(घ) प्रत्येक वर्ष, फरवरी मास के पन्द्रहवें दिन के पूर्व आगामी अ०८८ के प्रथम दिन से प्रारम्भ ने वाल वर्ष के लिये आय तथा व्यय के अनुभाँै का आय-व्ययक तैयार करेगा ।

(इ) ऐसे समस्त कार्य करेगा जो भी उसे सौंपे जांय और बोर्ड या उसके सभापति द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करेगा तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सीधा बोर्ड को उत्तरदायी होंगा ।

(च) बोर्ड के कर्मचारी वर्ग के कार्य का निरीक्षण करेगा तथा उनमें अनुशासन रखेगा ।

और

(छ) आय व्ययक में स्वीकृत, बोर्ड की आय तथा व्यय पर नियंत्रण रखेगा ।

(२) मंत्री :—

(क) किसी एक समय में ५०) ह० तक का आकस्मिक व्यय मंजूर कर सकेगा ।

(ख) सभापति की अतिमति से अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से कोई भी शक्ति अपने सहायकों को सौंप सकेगा, और

(ग) सभापति की स्वीकृति से बोर्ड के नाम पर सभापति या मन्त्री द्वारा कार्यान्वयित किये जाने वाले वेंक के लाते खोल सकेगा

अधिकाय ४

कार्यकाल की अवधि और समिति के सदस्यों के पदों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा समितियों की कार्य-प्रण लो तथा उसका संग्रहालय

१२. (१) किसी समिति के सदस्यों के पदों की अवधि २ वर्ष हो । अवधि के समाप्त होने पर एक नई समिति का निर्धारण किया जायगा जिसमें जाने वाले सदस्य भी दियुद्दित किये जाने योग्य होंगे ।

(२) बोर्ड समिति के किसी एक सदस्य को उत्तरके संयोजक के रूप में नियुक्त करेगा जो समिति की मीटिंग में अध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

१३. संयोजक या समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय लिखित में अपने पद से स्तीका दे सकेगा और वह स्तीका बोर्ड को सम्बोधित किया जायगा । संयोजक का कोई भी स्तीका तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि वह बोर्ड द्वारा स्तीकार न कर लिया जाय ।

१४. बोर्ड, समिति के किसी सदस्य को, उसको आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् हठा सकेगा, यदि उसको विचार में ऐसा सदस्य अपने कर्तव्यों के उचित पालन करने में असफल रहा या कार्य करने में असमर्थ हो गया हो अथवा उसने अपने पद या शक्ति का इस प्रकार दुष्पर्योग किया हो जिसमें उसका सदस्य बनां रहना समिति के हित में हानिकारक हो गया हो ।

१५. किसी समिति में, भूत्यु, हटाये जाने या इस्तीफे के कारण स्थान रिक्त हो जाने पर बोर्ड रिक्त स्थान को पूर्ति देने के लिये अपने पुर्व सदस्य अपने पुर्व सदस्य की शेष अवधि तक पद को धारण करेगा ।

१६. (क) संयोजक, जैसे ही या जब कभी आवश्यक हो, समिति की मीटिंग बुला सकेगा, परन्तु मीटिंग महीने में कम से कम एक दफा तो लाई ही जायगी ।
- (ख) संयोजक, मीटिंग की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व प्रत्येक मीटिंग का एक नोटिस, ऐसी कार्यसूची सहित जिसमें मीटिंग होने वाली कार्यवाही का उल्लेख होगा, पोस्टिंग सर्टाफिकेट के अन्तर्गत डाक द्वारा प्रेषित करेगा ।
- (ग) समिति के मीटिंग हेतु कोरम ३ सदस्यों का होगा ।
- (घ) यदि किसी मीटिंग में संयोजक अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को मीटिंग का अध्यक्ष चुन लेंगे ।
- (ङ) यदि समिति की किसी मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता हो, तो अध्यक्ष ५८ घारण करने वाला व्यक्ति मीटिंग को ऐसी अन्य तारीख या समय के लिये स्थगित कर देगा जिसे वह उचित समझे और ऐसी मीटिंग को स्थगित करने के पूर्व उसकी घोषणा कर देगा । स्थगित मीटिंग के समक्ष कोई भी ऐसा कार्य नहीं प्रस्तुत किया जायगा जो मूल मीटिंग के समझ रखे जाने वाले कार्य से अन्यथा हो । ऐसी स्थगित मीटिंग के लिये कोरम की कोई अपेक्षा नहीं की जायगी ।
- (च) उप-नियम (ङ) के अन्तर्गत किसी स्थान पर, स्थगित-मीटिंग का एक नोटिस उसी दिन मीटिंग के स्थान पर चाप्ट द्वारा अंदर वह आगामी मीटिंग के लिये पर्याप्त नोटिस समझा जायगा ।

१७. जब तक तंत्रोजक या अध्यक्ष पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं कर दिया गया हो, प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही निम्नलिखित फॉर्म से की जायगी :—

- (क) पूर्व मीटिंग के संक्षिप्त विवरण का पुष्टीकरण,
- (ख) पूर्व मीटिंगों में स्थगित किये गये समस्त विषय, और
- (ग) ऐसे क्रमानुसार, समस्त अन्य कार्यवाही, जो संयोजक द्वारा निर्दिष्ट की जाय ।

१८. समिति की प्रत्येक मीटिंग के संक्षिप्त विवरण का, संक्षिप्त विवरण-पुस्तिका (Minute Book) में उल्लेख किया जायगा तथा उस पर संयोजक, के हस्ताक्षर होंगे और उसकी पुष्टी आगामी मीटिंग में की जायगी । संयोजक, मीटिंग की भावना को देखते हुये, किसी भी सदस्य द्वारा लिखित में आपत्ति उठाये जाने पर, संक्षिप्त विवरण में शुद्ध या परिवर्तन करेगा ।

१९. समिति के किन्हीं कार्यों या कार्यवाहियों पर, उसमें किसी स्थान के दिक्ष द्वारा होने के कारण आपत्ति नहीं उठाई जायगी ।

२०. (१) समिति द्वारा निर्देशनों के अनुसार कार्य करेगी जो बोर्ड समय समय पर दे ।
- (२) समिति, उसकी ओर से भूमि वितरण का कार्य, किसी एक सदस्य या अधिक सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्त समिति को सौंप सकेगी ।

२१. संयोजक समस्त आवश्यक कार्यों का निवारा कर सकेगा परन्तु इस नियम के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य, संयोजक द्वारा, समिति की आगामी मीटिंग में पुष्टी हेतु प्रस्तुत किया जायगा।

२२. (१) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि वितरण के संबंध में समिति के निर्णय से असंतुष्ट हो, तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध निर्णय की तारीख से ३० दिन के भीतर २ बोर्ड के पास अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(२) बोर्ड, समिति से रिपोर्ट मांगने तथा श्रीलंका को सुनने के पश्चात् समिति के निर्णय की पुष्टी, उसका रूपान्तर तथा उसको उलट सकेगा।

अध्याय ५

भूमि वितरण हेतु अनुसरणीय सिद्धान्त तथा उन व्यक्तियों की घोग्यताएँ जिन्हें भूमि दी जा सकेगी

२३. भूमि वितरण करने में, समिति या बोर्ड जहां तक संभव ौ सकेगा, आचार्य विनोद भावे द्वारा बनाये गए निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा :—

(१) भूमि वितरण हेतु निश्चित की गई तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व, उस गांव जिसमें भूमि दिया गया है और ऐसे अन्य गांव या गांवों में जहां पर समिति उचित समझे मनादी द्वारा, उस तारीख को घोषणा करवा देगी।

(२) भूमि हेतु वितरण हेतु निश्चित की गई तारीख से एक दिन पूर्व, एक द्वितीय घोषणा करवा दी जायगी।

(३) भूमि वितरण के लिये नियुक्त किये गये समिति के सदस्य या उसके प्रतिनिधि, वितरण की निश्चित तारीख से पूर्व, वितरण की जाने वाली भूमियों के संबंध में समस्त आवश्यक सूचना इकट्ठे करेंगे तथा भूमियों का निरीक्षण करेंगे एवं वितरण के प्रयोजनावां उनकी किसी निर्धारित करेंगे।

(४) बोर्ड के प्रतिनिधि या समिति के सदस्यों द्वारा, जिनको भूमि वितरण करने का कार्य सौंपा गया है, गांव निवासियों की एक सार्वजनिक सभा, जिसमें भूमि-विहीन व्यक्ति भी शामिल होंगे, भूमि वितरण के लिये निश्चित की गई तारीख को बुलाई जायगी। वे गांव में रहने वाले भूमि-विहीन व्यक्तियों के नामों का सुनिश्चयन करेंगे। कोई भी भूमि-विहीन व्यक्ति मीटिंग में, समिति के प्रतिनिधि या उसके सदस्य के सामने भूमि लिये जाने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त कर सकेगा। भूमि के वितरण हेतु मांगों के सम्बन्ध में, समिति के प्रतिनिधि या उसका सदस्य इकट्ठे हुए लोगों से उनकी राय मांगेगा और भूमि-दाने वाले भूमि-विहीन व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के अनुसार भूमि के वितरण किये जाने का प्रस्ताव करेगा। ऐसे समझौते के अभाव में, सदस्य भूमि का वितरण सिक्का उछाल कर (टास) द्वारा या लाट ौ त्रा तय करेगा। मीटिंग में निर्धारित वितरणों की एक रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जायगी।

परन्तु शे २ यह है कि, जहां तक संभव हो सके गांव में वितरण के लिये उपलब्ध भूमि का ११३ मांग हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों एवं वन-जातियों में वितरित किया जायगा।

(५) ऐसा वितरण करते समय जिसमें नई वस्तियों की स्थापना या मौजदा वस्तियों को बड़ी इकाई में परिणित करना शामिल है, बोर्ड द्वारा उस विषय में दिये गये निर्देशनों को ध्यान में रखा जायगा ।

(६) वितरण इस प्रकार से किया जायगा जिससे भूमियों के, जहां तक हो सके अलग अलग टुकड़े न हों ।

२४. प्रत्येक पट्टेदार, भूमि वितरण किये जाने पर जितना शीघ्र हो सके, प्रपत्र 'खा' में एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखेगा तथा उसको समिति या बोर्ड द्वारा जैसी भी स्थिति हो, प्रपत्र 'गा' में एक प्रमाण-पत्र (पट्टा) दिया जावेगा ।

२५. समिति या बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे व्यक्तियों, जिनको पूर्व सास में भूमि वितरित की गई है, के नाम की एक ज्ञाची, भूमि के विवरणों सहित, पटवारी के पास प्रेषित करेगा ।

२६. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वितरित भूमि का अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्रफल, समिति द्वारा स्थानीय परिस्थितियों तथा बोर्ड के निर्देशनों के अनुसार, समय समय पर निर्धारित किया जायगा ।

अध्याय ६

विविध

२७. स्तीका, मृत्यु या किसी अन्य कारण से बोर्ड के किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने की सुचना, बोर्ड के सभापति या उसके सचिव द्वारा ज्योर्ही स्थान रिक्त हो आचार्य विनोद भावे या आखिल भारत सर्व सेवा संघ की दी जायगी और उसकी पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिसके द्वारा अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत बोर्ड का निर्माण हुआ है ।

२८. (१) बोर्ड को भूमि का अनुदान करने हेतु घोषणा-पत्र प्रपत्र 'का' में होगा ।

(२) बोर्ड का प्रतिनिधि या संयोजक घोषणा पत्रों को समय समय पर संबंधित तहसीलदार के पास प्रस्तुत करेगा जो उसकी एक रत्नाद देगा ।

२९. घोषणा-पत्र की पुष्टी किये जाने हेतु बोर्ड से सलाह प्राप्त होने पर तहसीलदार घोषणा को निम्न लिखित रीति से प्रकाशित कर देगा :—

(क) एक नोटिस जिसमें घोषणा-पत्र में दिखाये गये विवरण होंगे प्रपत्र (घ) और (क) में जारी किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां उस व्यक्ति, जिसकी ओर से घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, के अतिरिक्त भूमि के संबंध में शामिलात में रेकार्ड किये गये सब व्यक्तियों पर, बिना शुल्क लिये तामोल की जायगी ।

(ख) नोटिस की एक प्रतिलिपि, उस स्थान, जहां भूमि स्थित है, के किसी प्रमुख स्थान पर चस्पां की जायगी, और

(ग) नोटिस की तामोल या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या जाती तरीके पर की जायगी ।

३०. (१) अधिनियम की धारा १७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत आपत्तियां पक्षों द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके एजेन्टों की भारकर, तहसीलदार के समक्ष लिखित में प्रस्तुत की जायगी ।

(२) अधिनियम की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत जांच फरते सन्य तहसीलदार यह निश्चय करेगा कि आया —

- (क) घोषणा करने वाले दाता का, घोषणा में निर्देशित भूमि पर प्रत्यक्षतः अधिकार, स्वामित्व या हित है,
- (ख) दाता दान देने के लिये वैधिक रूप से सक्षम है, और
- (ग) भूमि खाली पड़ी हुई है।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलों में जहां पर कि दान में दी गई भूमि, उप-भोगावधि (Sub-tenure) के अधीन है या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में है, तो वह, खाली पड़ी हुई समझ ली जायगी, यदि उप-भोगावधि धारक या ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार में वह भूमि है, भूमि के दान दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति लिखित में प्रगट कर देता है और समिति या अनुदान ग्रहीता के हक्क में उसे खाली करने के लिये तैयार हो जाता है।

और यह भी शर्त है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसके हक्क में वस्तुतः वह भूमि है, समिति या अनुदान ग्रहीता के हक्क में भूमि को खाली करने के लिये तैयार न हो तो भी अनुदान उप-काइस-फार या अधिकारी के अधीन रखत हुए स्वीकार किया जा सकेगा।

३१. धारा १७ (३) के अन्तर्गत आपत्तियों की जांच तथा निपटारा—

- (क) यदि आपत्ति-कर्ता संवन्धित जिले में रहता है, पन्द्रह दिनों में, या
- (ख) यदि आपत्ति-कर्ता संवन्धित जिले से बाहर रहता है तो ३० दिन में, पूर्ण कर दिया जायगा।

कार्य 'प' (क)

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड अधिनियम की धारा ११ (१)

भूदान यज्ञ दान-पत्र

में। हम.....	पुत्र.....	गांव.....
तहसील.....	जिला.....	का/के निवासी मेरी।हमारी कुल बीघा।
एकड़ छमीन, जिस पर मेरा।हमारा मालिकाना या कालत का हक्क है, उसम से जाता य खाली		
नं०.....	बारानी बीघा।एकड़	

बाही बीघा।एकड़
नहरी बीघा।एकड़

गांव..... तहसील..... जिला..... खाली छमीन या
खाली की कालत का हक्क पूज्य बिनोबा जी द्वारा शुल्किये गये भूदान-यज्ञ में विचार पूर्वक अपनी
राजीखुशी से दान दे रहा हूँ। रहे हैं। इस दान दी हुई भूमि पर प्रायन्वा मेरा।हमारा, 'या
मेरा।जानवान या वारिसों का, कार्बि मालिकाना, कालत का हक्क नहीं, रहेगा। यह छमीन

भूचं दिनोवा जी द्वारा नियुक्त राजस्थान भूटान दल बोर्ड, भूदान यज्ञ की योजनानुसार, उपयोग में ला सकता है।

स्थान	तारीख	दें तंत्रे के हस्ताक्षर
		दें अल्पे का पूरा नाम
		पता
		डॉक्टराना जिला
१		
२		
		स्वीकृत

फाम 'बी' (स)

राजस्थान भूदान यज्ञ बोड़ नियमोंयनि०म् २४ के अन्तर्गत

प्रतिष्ठा-पत्र

मेरे पुत्र गांधी का रहने वाला मेरी जिला का रहने वाला मेरी भाँग पर राजस्थान भूदान-यज्ञ बोर्ड से एक भूमि के खेताखसरा नं. यौधाएकड़ का विट्ठल चौकांड़ा रहा है इस भूमि में स्वर्द अपने हाथ से खेती कलंगा। मेरे निम्न लिखित शब्दों को इनीष्ट उत्तरता हैं:—

१. (क) मैं इस भूमि का नेता बन दृश्यनिर्वाचन नहीं करूँगा।
 (ख) मैं किसी दूसरे को, उत्तेरे, पश्चात् या अन्य तरह से, जमीन नहीं दूंगा।
 (ग) मैं जमीन को ले ताल की श्रविति से अधिक समय के लिये थंजड़ नहीं पड़ी रखूँगा।
 (घ) मैं नियत समय पर देय लाभान व श्रन्य कर आदा करता रहूँगा।
 (ङ) मैं राजस्थान भूदान-यज्ञ चोई द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों का तथा राजस्थान भूदान-यज्ञ अधिनियम का यथात् पालन करूँगा।

२. (क) ऊपर लिखी हुई कोई भी शर्त का मुझसे अंग होने पर नहीं मिली हुई जमीन पर हक्क, भूदान चोई रद्द नहीं सकेगा।
 (ख) ऊपरोक्त शर्तों का पालन होने तक उस जमीन पर मेरा तथा मेरे वारिसों का क़ब्जा रहेगा।

हस्ताक्षर प्रतिलिपि करने वाला.....	हस्ताक्षर.....तारीख.....१६५ त्रिपाह मय पता
१.....	हस्ताक्षर प्रतिनिधि, राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड
२.....	

फार्म 'सी' (ग)

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड नियम २४ के प्रत्यक्षपत्र

मुहर

प्रभाग-पत्र

श्री.....पुत्र.....जाति.....को भदान यज्ञ में प्राप्त
 शाम.....तहसील.....जिला.....की भूमि में से ऐसे
 विवरण के अनुसार भूमि दो जाती हैं:—

पांच व तहसील १	नाम खेत व ज़सरा नम्बर २	फलवा ३	विशेष ४
-------------------	----------------------------	-----------	------------

इस निर्णय में ग्राम की जनता और सरकारी अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा है।

पड़ाव.....	हस्ताक्षर.....
दिनांक.....	अध्यक्ष राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड
हस्ताक्षर शाम निवासी.....	हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षर सहसोलदार या पटवारी.....	संयोजक तहसील समिति..... जिला.....

फार्म 'डी' (घ)

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड नियम २६ (घ) के प्रत्यक्षपत्र

.....तहसील के तहसीलदार के न्यायालय

श्री।श्रीमती.....	पुत्र।पिता।परि: श्री.....
निवासी शाम.....	तहसील.....जिला.....
ने जाहिर किया है कि उन्होंने श्री आचार्य विनोदा भावे हारा गुल किने गये भदान यज्ञ के लिये दिनांक.....१६५ .. को निम्न प्रकार प्रपनी भूमि का दान किया है।

आतएव इस नोटिस के हारा दूजना दी जाती है कि इस भूमि के दानदार दो वैदेता की
उत्तरदारी.....तारीख.....१६५ .. तक दो अपदि
में श्री जा सकती है।



भूमि का विवरण

नाम प्राम, तहसील प्रीर चिला किस्म खेतफल समीन खेत व लसरा नम्बर भौगोलिक
जहाँ भूमि स्थित है समीन अधिकार खेत की अधिकार
सीमाएँ

१ २ ३ ४ ५

आज दिनांक १६५ . को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर
से दिया गया।

दिनांक १६५ . हस्ताक्षर
न्यायालय की मुहर तहसीलदार, तहसील

कार्म 'इ' (अ)

खचस्थान भूमि यज्ञ बोर्ड नियम २६ (अ) के अन्तर्गत

..... तहसील के तहसीलदार के न्यायालय में
भूमि देने वाला
थी.....

उजरदार

साहिर किया है कि आपने निम्न लिखित भूमि का दान
आपमे

भूदान यज्ञ के लिये दिये गये निम्नलिखित भूमि के दान के

भूदान यज्ञ के लिये किया है
अतः आपको इस नोटिस के लिये सूचना दी जाती
विषद् में उजरदाराग्राम की है

है कि दिनांक १६५ . का दिन उजरदारियों की मुनाबाई और
तत्संबन्धी स्वूत के लिये, यदि कोई उसकी पुष्टि के लिये हो, निहित किया गया
है अतएव आपको यादेश दिया जाता है कि उक्त दिनांक पर उन लेखों दस्तावेजों को न्यायालय
के सामने प्रस्तुत करें जिनके आधार पर आप आपने पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं।

आप न्याय लें कि पूर्वोक्त दिनांक पर आपके उपस्थित न होने पर, तत्संबन्धी मुनाबाई
और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जायेगा।

भूमि का विवरण

नाम प्राम, तहसील प्रीर चिला किस्म घमीन खेतफल जमीन खेत व लसरा नम्बर भौगोलिक
विज्ञा जहाँ भूमि स्थित है घ खेत की सीमाएँ अधिकार

१ २ ३ ४ ५

आज दिनांक १६५ . को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर
से दिया गया।

दिनांक १६५ . हस्ताक्षर
न्यायालय की मुहर तहसीलदार, तहसील